भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1889

(दिनांक 01.08.2023 को उत्तर देने के लिए)

दूरदर्शन की सेवाओं का विस्तार

1889. श्री विनोद कुमार सोनकरः
डॉ. जयंत कुमार रायः
श्री राजा अमरेश्धर नाईकः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्री भोला सिंहः
डॉ. सुकान्त मजूमदारः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का दूरस्थ, जनजातीय, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई), सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले लोगों के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में देश में 'प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो क्षेत्र और कवरेज सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में सूचना और प्रसारण अवसंरचना और सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के संबंध में अन्य कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ङ): सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम "प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास" को 2021-26 की अवधि के लिए 2539.61 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जारी रखने को मंजूरी दे दी है जिसमें दूरस्थ, जनजातीय, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित, सीमावर्ती क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और रणनीतिक/राष्ट्रीय महत्व के ऐसे अन्य क्षेत्रों में लोक सेवा प्रसारण की पहुंच के विस्तार सहित विभिन्न घटक शामिल हैं। इस स्कीम में राज्य सरकारों के परामर्श से दूरस्थ, जनजातीय, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित, सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले लोगों को 8 लाख से अधिक डीडी फ्री डिश सेट-टॉप बॉक्स (एसटीबी) का मुफ्त वितरण और पूरे देश में 41 स्थानों पर विभिन्न क्षमताओं के एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है।

******